न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 08 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट

1. शाह मोहम्मद पुत्र भारे खां जाति मुसलमान निवासी पांचे का तला तहसील पोकरण जिला जैसलमेर राजस्थान

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.राज.सरकार जरिए उपायुक्त उपनिवेशन नाचना 2 जिला जैसलमेर

2.राजस्थान सरकार जरिए उपनिवेशन तहसील नम्बर 2 जिला जैसलमेर राजस्थान

3.श्रवणकुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी ग्राम कुंपली तहसील विजय नगर जिला श्री गंगानगर

मूल अपील अन्तर्गत धारा 23(1) राजस्थान उपनिवेशन क्षेत्र में कृषि भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 बमिसल नं. 66 / 1999 आदेश श्रीमान उपायुक्त उपनिवेशन नाचना नम्बर 2 जिला जैसलमेर आदेश दिनांक 28.01.1999 के विरूद्ध पेश हुई जिसे मुंतकिली पर न्यायालय हाजा में धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया।

उपस्थिति

1. वकील श्री लाधूराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हरीराम चौधरी जी.ए. रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से।
3. वकील श्री मानस खत्री रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 21.10.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा नहरी क्षैत्र में कृषि भूमि विशेष आवंटन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन–पत्र कृषि भूमि चक नं. 7 पी डब्ल्यू एम के मुरब्बा नम्बर 206 / 10, 206 / 17 रकबा 18 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि के आवंटन का आवेदन पत्र पेश किया तथा अपीलांट की प्राईटी जिला जैसलमेर का मूल निवासी होने के उपरांत भी रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा प्रार्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया कि "पिता का नाम पाक पलायन सूची में दर्ज है" इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर निरस्त आवंटन कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आलोच्य आवंटन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की सीमा से बाहर जाते हुए अपीलांट के हितों पर कुठाराघात करते हुए अपीलाधीन आलोच्य आवंटन आदेश से

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट को नुकसान पहुंचाया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। अपील मीमो में ही "अंकित किया है कि "आवेदन पत्र निरस्त किया द्वारा पुलिस जांच कि रिपोर्ट पिता का नाम पाक पलायन सूची में दर्ज है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने पाक पलायन रिपोर्ट के आधार पर निरस्त आवंटन कर दिया"

मूल अपील अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी जैसलमेर के न्यायालय में पेश हुई। तत्पश्चात माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश क्रमांक प्रा.पत्र मुंतकिली/एल.आर./7294/2019/जैसलमेर दिनांक 03.03.2020 के द्वारा उनकी पत्रावली न्यायालय हाजा में मंतुकिल की गई। जो दिनांक 09.09.2020 को प्राप्त होने पर अपील संख्या 08/2020 पर दर्ज किया गया।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की मामले में बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम किसी प्रकार सम्मन तामील नहीं करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आवंटन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट एक सद्भावी काश्तकार है तथा ग्राम पांचे का तला तहसील पोकरण जिला जैसलमेर राजस्थान का सद्भावी निवासी है। अपीलांट एवं उसके परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में अंकित है तथा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था में नौकरी नहीं करता हैं तथा आजीविका का मुख्य साधन खेती मवेशी हैं तथा **आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट को चक नं. 6–7 पी डब्ल्यू एम के मुरब्बा नम्बर 206/10, 206/17 में कृषि भूमि पुलिस जांच रिपोर्ट सही होने पर आवंटन किया गया उसके पश्चात अपीलांट का आवंटन पाक पलायन के कारण खारीज किया गया।** अपीलांट के विरूद्ध आज दिन तक पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं हुई। अपीलांट की आवंटन कृषि भूमि पाक पलायन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आवंटन आदेश से रेस्पोडेंट संख्या 03 को गलत आवंटन किया गया जबकि रेस्पोडेंट संख्या 03 के नाम चक नम्बर 01 डी डी एम के मुरब्बा नम्बर 163/10 कुल रकबा 11 बीघा खरीद सुदा खातेदार नाम दर्ज है। **रेस्पोडेंट के नाम सिलींग से अधिक जमीन**

राजस्व अपील अधिकारी
जैसलमेर

है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 03 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आवंटित आराजी की दिनांक 26.09.2012 को खातेदारी सनद जारी होकर इस पर रेस्पोडेंट रिकॉर्डेड खातेदार है। अपीलाधीन आराजी पर **रेस्पोडेंट का 20 वर्षों से कब्जा काश्त है।** रेस्पोडेंट द्वारा अपीलाधीन आराजी को अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार राशि का भुगतान कर प्राप्त की है। अपीलांट के पिता का नाम पाक पलायन सूचि में है इस तथ्य का अपीलांट ने कभी भी खण्डन नहीं किया है न ही इस बारे में कुछ स्पष्ट किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 03 श्रवण के नाम से चक 6–7 PWM में मु.नं. 206/2017 में 20.05 बीघा भूमि के अलावा चक 1DDM मु. नं. 163/2010 में 11 बीघा भूमि होना मान भी लिया जाए तो कुल 31.10 बीघा भूमि है जो कि सिलिंग सीमा से बाहर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश बाद विवेचन एवं मनन के विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से 20 वर्ष बाद अपील पेश की गई है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जाकर अपीलाधीन आवंटन आदेश को यथावत रखा जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलांट सद्भावना एवं सवच्छ हाथों से नहीं आया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत आवंटन को लेकर तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया गया है। अपीलाधीन आवंटन प्रक्रिया की समस्त कार्यवाही विधि–सम्पन्न करते हुए अपीलाधीन आराजी का आवंटन रेस्पोडेंट संख्या 03 को किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील को अकारण 20 वर्ष के पश्चात अति विलंब से पेश किया गया है जिसका कोई सद्भाविक एवं संतोषप्रद कारण स्पष्ट नहीं किया है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने आवेदन–पत्र में आवंटन के बारे में पता करने पर उसे ज्ञात हुआ कि उसका आवंटन का आवेदन–पत्र दिनांक 28.01.1999 को निरस्त कर दिया गया हैं, जिस पर प्रार्थी ने उक्त आदेश की नकल लेने

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

हेतु दिनांक 03.07.2019 को आवेदन पेश कर उसी दिन आदेश की नकल प्राप्त की तथा नकल मिलने पर अपील तैयार कर नकल प्राप्ति से 30 दिन के भीतर अपील पेश कर दी हैं। इसमें प्रार्थी ने कोई जानबूझकर देरी या लापरवाही नहीं की हैं तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–

RRD 1976 Page 508

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का **उचित व युक्तियुक्त कारण आवेदन में नहीं दर्शाया गया है** जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट को पेश करना था लेकिन पेश नहीं किया गया। अपील पेश करने में हुए विलंब के बारे में तथ्य स्पष्ट अंकित नहीं किये गये है। अतः लिमिटेशन के आधार पर ही अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:– (परिसीमा अधिनियम, 1963 पृष्ठ 203),

स्टेट ऑफ एम.पी. बनाम रामप्रकाश शर्मा, 1989 जे.एल.जे. 36 म.प्र.
धारा 05 पृष्ठ 147
धारा 05 पृष्ठ 167
धारा 05 पृष्ठ 203
धारा 05 पृष्ठ 115

RRT 2017(2) Page 787

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत **अपील अकारण विलम्ब से पेश की गई है जिसके संबंध में विलम्ब के लिए कोई सद्भाविक कारण नहीं बताया गया है।** धारा 05 के आवेदन में अपीलांट ने अपने आवेदन खारिज होने की तारीख 28.01.1999 अवश्य लिखी है परन्तु इसकी जानकारी उसे **किस दिनांक को तथा किस माध्यम से हुई और तत्पश्चात उसने क्या कार्यवाही की?** इन तथ्यों का आवेदन–पत्र में अभाव पाया गया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत **अपील 20 वर्ष की सुदीर्घ अवधि बाद पेश की गई है तथा इस अवधि को Explain नहीं किया गया है।** हस्तगत अपील को **मियाद बाहर करने के आदेश पारित किये जाते है।** न्यायालय द्वारा हस्तगत अपील में मैरिट पर भी बहस सुनी जा

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

चुकी है। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण (Merit) के आधार पर करने के लिए न्यायालय अग्रसर हुआ।

सर्वप्रथम अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 03 द्वारा विशेष आवंटन के लिए प्रस्तुत आवेदन–पत्रों शपथ–पत्र, जांच रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। अपीलांट आवेदन से पूर्व **24.05 बीघा कमाण्ड भूमि धारित करता था।** उसके संबंध में काश्तकार का प्रमाण–पत्र; जो रिकॉर्ड पर है के बिंदु संख्या 01 के मुताविक वह **पात्रता की शर्त पूर्ण नहीं करता है।** आवेदन से **20 वर्ष पूर्व पिता स्वयं का नाम मतदाता सूची में लगातार होने का उल्लेख नहीं आया बल्कि पिता का नाम 1975 व 1988 की सूची में नहीं होना स्पष्ट प्रतिवेदित है।** उसका स्वयं का नाम 1994 में प्रथम बार मतदाता सूची में दर्ज पाया गया। **पिता भारेखा पुत्र फतेखां का नाम पाक पलायन सूची में होने से उसके नाम की** कृषि खातेदारी भूमि भी **खारिज होकर जरिये नामांतकरण संख्या** 11 (जमाबंदी गांव "पांचे का तला" संवत 2024–2027 के खाता संख्या 36 खसरा संख्या 9 व 10 कुल रकबा 34.10 बीघा के मुताविक) **दिनांक 06.11.1968 के द्वारा राज्य सरकार के खाते** में दर्ज हुई। विशेष विवरण के कॉलम में "पाक" स्पष्ट अंकित है।

अपीलांट ने अपील के पैरा संख्या 2 में स्वयं इस तथ्य का अंकन किया है कि **"पिता का नाम पाक पलायन सूची में दर्ज होने के कारण आवेदन निरस्त कर दिया है"** परन्तु उसने अपने पिता के संबंध में इस आशय के प्रतिवेदन के विरूद्ध किसी प्रकार का खण्डन करते हुए उसके संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है जिससे साबित हो सके कि यह प्रतिवेदन गलत अंकित किया है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नकल "प्राईटी रजिस्टर" के क्रमांक 543 अनुसार चक 7PWM मु.नं. 206/2017 पर कुल छ आवेदको के आवेदन **विशेष आवंटन** हेतु दर्ज हुए जिनमे से प्रत्येक के आगे संवीक्षा (Scrutiny) एवं जांच (Enquiry) के बाद सक्षम पाये गए आवेदनों में केवल रेस्पोडेंट संख्या 03 अकेले का ही नाम रह गया। शेष 04 **"इस्तीफा"** और एक अपीलांट का **"पिता का नाम पाक पलायन सूची में** दर्ज होने से दिनांक 28.08.1999 "खारिज" में शुमार कर दिये गए। सुसंगत विधि में स्थापित प्रक्रिया का भी अवलोकन किया गया। The Rajapth Colonisation (Allotment And Sale of Government Land in The Indira Ghandhi Canal Colony Area) Rules, 1975 के नियम 13ए में जरिये विक्रय विशेष आवंटन का प्रावधान किया हुआ है। नियम **13ए** 4(3) में आवेदनों की **प्रारंभिक संवीक्षा और जांच** के पश्चात आवंटन अधिकारी की संतुष्टि उपरांत **वरीयता–क्रम** का

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

निर्धारण किया जाता है। जिसके मुताबिक अपीलार्थी का आवेदन **प्रारंभिक संवीक्षा एवं जांच में ही सही नहीं** होने से **प्रायरिटी रजिस्टर** के साथ–साथ मूल आवेदन पत्र पर इसका स्पष्ट अंकन किया हुआ है। अपीलार्थी के आवेदन के संबंध में एस.एच. ओ. नाचना तथा उपनिवेशन तहसीलदार आई.जी.एन.पी. तहसील नाचना–2 की रिपोर्ट **उसकी अपात्रता के प्रमाण है। वह आवंटन की शर्तों (20 वर्ष निवास की पुष्टि बाबत) को पूर्ण नहीं करता। वह तस्करी एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियां में लिप्त होना प्रतिवेदित हुआ इसलिए उसका आवेदन काबिल खारिज शुमार किया गया और उसकी प्रायेरिटी (प्राथमिकता) स्वतः समाप्त हो गई।** यहां यह भी स्पष्ट करना समीचीन है कि यहां तक कि आवंटन के पश्चात भी उक्त नियमों के नियम 16(6) के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकता है यदि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट आवंटी के संबंध में यह रिपोर्ट दे देता है कि वह किन्ही **राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और जिला मजिस्ट्रेट की वह रिपोर्ट अंतिम होगी और उसे सुनवाई का मौका दिया जाना आवश्यक नहीं है।** इस बाबत खेरदीन बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान अन्य 2011(1) सी डी आर 128(राज) न्यायिक नजीर दृष्टव्य है।

प्राथमिकता क्रम में आने वाले आवेदन–पत्रों को निर्णीत करने के लिए **आवंटन अधिकारी** के अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा करने का प्रावधान है **न कि खारिज किये गए आवेदनों के आवेदेकों को सुनवाई का मौका देने का। आवंटन अधिकारी की संवीक्षा एवं जांच पश्चात पूर्ण संतुष्टि पर ही आवेदनों का प्राथमिकता क्रम निश्चित होना विधि में विहित है।** इस प्रकार प्रार्थी का एतराज कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया **"विधि में विहित नहीं होने से मान्य नहीं"** किया जा सकता। अपीलांट ने आवेदन में अपने पिता द्वारा पूर्व धारित भूमि का विवरण भी अंकित नहीं किया। इस दृष्टि से वह सद्भाविक एवं स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 03 का शेष एकमात्र आवेदन बाद संवीक्षा एवं जांच स्वीकार कर लिया जिसमें किसी भी प्रकार की वैधानिक एवं नियमानुसार त्रुटि नहीं पाई गई है **बल्कि वह वर्ष 2012 में संपूर्ण राशि अदायगी और आवंटन शर्तों की पूर्ण पूर्ति कर लेने पर खातेदारी सनदगी प्राप्त कर चुका है।**

उपरोक्त विवेचन पश्चात निष्कर्षतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एस.एच.ओ. पुलिस थाना नाचना द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह तथ्य सामने आया कि **अपीलांट/प्रार्थी तस्करी एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है।** जांच में यह भी

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट/प्रार्थी राजस्थान के **गांव पांचे का तला का पिछले 20 वर्षों से राजस्थान का सद्भाविक निवासी नहीं है।** अपीलांट के पिता भारे खां का नाम मतदाता सूची सन् 1975, 1980 में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवेदन अपीलांट के पिता भारे खां का पाक पलायान सूची में नाम होने कारण अपात्रता की वजह से तथा आवेदक स्वयं का तस्करी एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की रिपोर्ट बाद विधिक परीक्षण सही एवं रेस्पोडेंट संख्या 03 पात्र होकर खातेदारी सनद प्राप्त कर चुका होने से खारिज किया गया। **अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखता है और वह न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आया हैं।** अपीलांट के इस सुदीर्घ अवधि उपरांत यकायक अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई आधार नहीं आता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर; सारहीन होने से, तथा आवेदक अपीलांट भूमि आवंटन का तत्समय पात्र नहीं होने के कारण उसका आवेदन जांच प्रक्रिया में ही खारिज हो जाने के कारण खारिज की जाती है तथा कृषि भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 बमिसल नं. 66/1999 आदेश श्रीमान उपायुक्त उपनिवेशन नाचना नम्बर 2 जिला जैसलमेर आदेश दिनांक 28.01.1999 के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 03 के पक्ष में किये गए आवंटन को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। निर्णय की प्रति पालना हेतु उपनिवेशन तहसीलदार (इ.गा.न.प.) नाचना–2 को भेजी जावे।

21/X/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/X/2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर